



पैकड दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा

भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अंतर्गत बीनागंज से चाचौड़ा-कुम्भराज-मृगवास, मनोहरथाना (राजस्थान) शटल मार्ग में साँची दूध के परिवहन कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक एवं सक्षम परिवहनकर्ता इस कार्य के नियम, शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते हैं। परिवहनकर्ता नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :-

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 03.11.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे से www.mptenders.gov.in से (रु.1000/- के क्रय मूल्य पर)
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 10.11.2025 समय दोपहर 02:00 बजे तक
3.	ई-निविदा की आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 11.11.2025 को समय दोपहर 03:00 बजे (ऑनलाइन)
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु.50,000/- (राशि रु. पचास हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार सर्वप्रथम प्रतिभागी निविदाकर्ता उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करें। तदोपरांत निविदा प्रपत्र में परिवहन कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई-निविदा प्रपत्र भरकर, वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर, निविदा प्रपत्र रु.1000/- पर ऑनलाइन क्रय कर, उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् परिवहनकर्ता चयन की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

परिवहन कार्य की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर परिवहन का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष कर दो वर्षों हेतु अनुबंध की समान शर्तों पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

ग्रामीण विपणन में दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन कार्य निविदा 2025 – 2028



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल
परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

- | | |
|---|--|
| 1 ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय | दिनांक 03.11.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक |
| 2 ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 10.11.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक |
| 3 ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक 11.11.2025 अपराह्न 12:00 बजे |
| 4 ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य | रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) (ऑन लाईन रसीद संलग्न करें।) |
| 5 ई-निविदा खोलने का स्थान | भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल |
| 6 परिवहन कार्य हेतु "तकनीकी अर्हताएँ" का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें | प्रपत्र 01 एवं प्रपत्र 02 |
| 7 "भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र 03 |

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा:-ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल आनलाइन ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से प्राप्त निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदाएं अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर प्रस्तुत कर छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जवाबदेही निविदाकार की होगी।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताएँ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल।

महोदय,

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र अंतर्गत बीनागंज से चाचौड़ा-कुम्भराज-मनोहरथाना शटल मार्ग में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन कार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तृतीय ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकर्ता का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ एकल स्वामित्व)		निविदाकर्ता का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करे।
1.1	एकल स्वामित्व / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व/कंपनी/भागीदारी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति, जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
1.2	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) निविदा प्रपत्र का प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।		निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) निविदा प्रपत्र का प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।

स.क्र	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1.4	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय/सहकारी संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा किसी भी संस्थान द्वारा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में दर्ज कोई प्रकरण/वाद लंबित नहीं हों।		तदाशय का शपथ पत्र रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। (निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र0 05 में प्रारूप संलग्न है।)
1.5	निविदाकर्ता के पास (फर्म/ कम्पनी /एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को 05 वर्ष का दूध परिवहनकर्ता कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।		तदाशय का संस्था/संबंधित कम्पनी द्वारा जारी दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य के आदेश की प्रति संलग्न करें एवं पाँच वर्ष के अनुभव की प्रमाणिकता हेतु रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉप पर शपथ पत्र संलग्न करें। (शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र. 06 पर संलग्न है।)
1.6	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		प्रपत्र क्र. 09 की तालिका में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता, वाहन मॉडल (निर्माण वर्ष 2023) अथवा इसके बाद के वर्षों के हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें। नए वाहन लगाए जाने की दशा में रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। <u>शपथ पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 07 में अवलोकन हेतु संलग्न है।</u>
1.7	निविदाकर्ता का (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) दूध परिवहनकर्ता कार्य का वैध एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस/पंजीयन होना अनिवार्य है।		तदाशय के वैध लायसेंस/पंजीयन की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
1.8	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद अपलोड करना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु.50,000/- (पचास हजार रुपये) की रसीद संलग्न करें।
1.9	निविदाकर्ता को (फर्म / कम्पनी /एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

- नोट :- (1) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ उक्त समस्त दस्तावेजों की अपलोड स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर, निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

टेलीफोन नं. _____

मोबाईल नं _____



प्रपत्र क्र.02

पैकड साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन कार्य हेतु निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्त :-

1. प्रतिभागी निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र में मार्ग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।
2. प्रतिभागी निविदाकर्ता के पास प्रपत्र क्र. 09 में दर्शाए मार्ग के सम्मुख दर्शित क्षमता एवं मॉडल का वाहन जिसका निर्माण एवं पंजीयन वर्ष 2023 अथवा इसके बाद के वर्षों के हो, उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूध के उचित प्रशीतन हेतु एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में 02 इंच हैवी डेन्सिटी के थर्मोकोल या पफ इंसूलेशन 02 इंच जिसमें तापमान 02 से 04 डिग्री निर्धारित हो, का होना अनिवार्य है। नए वाहन लगाए जाने की दशा में एक माह की अवधि में उक्त वाहन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.1 सफल निविदाकर्ता जो कि नए वाहन क्रय कर दुग्ध संघ में संलग्न करेंगे उन्हें एक माह की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित इंसूलेटेड वाहन तैयार कर (इंसूलेशन, तापमान एवं क्षमता) लगाना होगा। यदि कतिपय कारणों से नया वाहन एवं वाहन संबंधी समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करने में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
- 2.2 निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ रु. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र. 08 में संलग्न है जिसे केवल सफल निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। अतः निविदाकर्ता अनुबंध पत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।
- 2.3 सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति उपरांत बतौर सुरक्षा निधि राशि रु 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा, डीडी के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति उपरांत ईएमडी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन होगा। तदोपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति के उपरांत औपचारिकता पत्र जारी करने के एक माह के अंदर ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि जमा की रसीद, वाहनो के समस्त वांछित दस्तावेज दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा नियत समय में दस्तावेज जमा न करने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
4. निर्धारित तिथि पर, संघ स्तरीय कमेटी के द्वारा समस्त निविदाकारों की तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय आमंत्रण में न्यूनतम तीन निविदाकारों एवं तृतीय व इसके पश्चात् वर्ती आमंत्रण में एक निविदाकार के तकनीकी रूप से अर्ह होने पर ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। वित्तीय बिड में न्यूनतम दरें प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को सफल निविदाकार माना जाएगा।
5. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।
6. प्रतिभागी निविदाकर्ता को दरें केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें/निविदाएँ अमान्य होंगी।
7. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पास निहित होगा।
8. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
9. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो सर्वप्रथम प्रकरण निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस स्तर पर विवाद निराकृत न होने की स्थिति में प्रकरण प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल का निर्णय अंतिम एवं उपय पक्षों को मान्य होगा।

10. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम केमरा सहित (GPS System with Camera) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत एजेन्सी/संस्था के माध्यम से ही लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। यदि जी.पी.एस सिस्टम एवं केमरा खराब होने की स्थिति में दुग्ध संघ को लिखित सूचित करना अनिवार्य होगा तथा स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रु. 500/- की पेनल्टी लगाई जावेगी, लगातार जी.पी.एस. एवं केमरा सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्रवाई जाएगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक दुग्ध संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।
11. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी आनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को होगा जिसकी गणना मार्ग की दूरी (जो निविदा में वर्णित हैं) के औसतन किलोमीटर के आधार पर की जाएंगी।
12. बीनागंज से चाचौड़ा-कुम्भराज-मृगवास-मनोहरथाना (राजस्थान) तक शटल मार्ग की विस्तृत सूची निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 09 में मार्गवार उल्लेखित है। प्रतिभागी निविदाकर्ता उक्त मार्ग का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के पश्चात् ही दरें प्रति लीटर पर अपने समस्त व्यय एवं कर सहित प्रस्तुत करेंगे।
13. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा की तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।
14. सफल निविदाकर्ता को दुग्ध वाहन में दूध व दुग्ध उत्पादों के प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन की व्यवस्था स्वयं के स्तर तथा व्यय पर करनी होगी। दूध एवं दूध उत्पादों की डिजाइन (आर्टवर्क) दुग्ध संघ द्वारा दी जाएगी जिसे परिवहनकर्ता अपने स्वयं के स्तर से निर्माण करेंगे। दुग्ध संघ द्वारा पृथक् से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
15. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभागी निविदाकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
16. निविदाकर्ता यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई-निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ें एवं समझें एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
- 16.1 सफल निविदाकर्ता को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकर्ता (एल-1) द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है अथवा पूर्ण करने से मना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एल-1 निविदाकार के स्थान पर एल-2 निविदाकार को, एल-1 की स्वीकृत दर पर परिवहन कार्य करने की औपचारिकता पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाएगा तथा एल-1 निविदाकार की ईएमडी राशि राजसात कर ली जाएगी। एल-2 के कार्य करने से मना करने पर पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाएगी। प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार के अतिरिक्त अन्य सभी निविदाकारों की अमानत राशि अधिकतम 30 दिवस में वापस की जाएगी। प्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा सेवा प्रदाय की स्थिति में द्वितीय निविदाकार की अमानत राशि दो माह में वापस की जाएगी।
17. प्रतिभागी निविदाकर्ता निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें अन्यथा प्रत्येक दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में ऐसी निविदाओं को अमान्य किया जाएगा।
18. निविदाकर्ता परिवहन कार्य संबंधी प्रपत्र क्र. 01 में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें।
19. निविदाकर्ता निविदा में डीजल की दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन दरें प्रस्तुत करें। अनुबंध अवधि में यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों पर परिवहन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदाकर्ता को आगामी निविदाओं के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मेरे/हमारे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ कर समझ ली गई है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 19 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध लिया गया निर्णय सर्वोपरि होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम एवं पता



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
 (मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
 GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
 BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
 FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.03

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें (अंको में) (प्रति लीटर में)	परिवहन दरें (शब्दों में) रु प्रति लीटर.में
1.	बीनागंज से चाचोड़ा-कुम्भराज-मनोहरथाना शटल मार्ग		

नोट :- निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकर्ता ऑन लाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता न हो। यदि अंको एवं शब्दों में भिन्नता होगी तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।



दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

स्वयं का
हस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. निविदाकर्ता का नाम
(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/एकल स्वामित्व)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
.....
.....
4. दूरभाष/मोबाईल नं.
5. ई-मेल एड्रेस
6. परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
.....
8. (अ) पेन नम्बर
(ब) FSSAI
(स) आधार कार्ड नम्बर.....
9. ऑनलाईन भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर
(समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ ली गई है और मान्य की गई है। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की गई है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज..... आयु..... निवासी..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा से शटल मार्ग में दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो-हवास तथा संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि :-

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय/सहकारी/अर्धशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक किसी भी पुलिस थाने/मा० न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नहीं है।

नाम—.....

हस्ताक्षर—.....

1. गवाह

नाम:—.....

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:—.....

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं प्रमाणित है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100 /- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम..... आत्मज..... आयु..... निवासी.....
यह कि मुझे/हमे दूध परिवहनकर्ता कार्य का कुल पाँच वर्ष का अनुभव है। मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हावाश में एवं इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि पूर्णतया सत्य एवं प्रमाणित है। यदि अनुबंध अवधि में इस संबंध में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत सत्य पाई जाती है एवं शपथ पत्र कि प्रमाणिकता असत्य पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जवाबदेही मेरी/हमारी होगी।

नाम—.....

हस्ताक्षर—.....

1. गवाह

नाम:—.....

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:—.....

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

..

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं प्रमाणित है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100 /- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज..... आयु..... निवासी.....
यह कि मेरे/हमारे द्वारा से विपणन शटल मार्ग में दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी निविदा नियमानुसार स्वीकृत होती है तो मैं/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल एवं पंजीयन तथा तापमान का नया इंसुलेटेड वाहन एक माह के अंदर क्रय कर संलग्न करूंगा/करेंगे। इस हेतु मैं/हम अपना शपथ पत्र निविदा की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।

नाम—.....

हस्ताक्षर—.....

1. गवाह

नाम:—.....

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:—.....

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं प्रमाणित है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

.

अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु)
साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकार्य अनुबंध
दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु अनुबंध-प्रपत्र (ग्रामीण विपणन)

यह अनुबंध दुग्ध संघ के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मैसर्स (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया।

द्वितीय पक्ष द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज के कार्य क्षेत्र अंतर्गत से शटल मार्ग के समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अनुबंधित वाहन क्रमांक से प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु ई-निविदा में निविदा प्रस्तुत की गई है एवं प्रथम पक्ष ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तों पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा को परिवहन दर रु. प्रति लीटर पर स्वीकार किया गया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत देना होगा।
2. यह कि परिवहनकर्ता होने पर द्वितीय पक्ष निर्धारित मार्ग एवं स्थानों पर अपने इंसुलेटेड वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए केन्द्रों में कमी/वृद्धि का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
3. यह कि निविदा में स्वीकृत दरों में, समस्त व्यय यथा:- वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में वितरण केन्द्रों से क्रेट/पैकेट आदि वापस लेकर भोपाल डेरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. अ) द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट गंतव्य वितरण स्थल से प्राप्त की गई है, उतनी ही गंतव्य वितरण स्थल में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की राशि के द्वितीय पक्ष बिल में से काटी जावेगी।
 (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन द्वितीय पक्ष को, चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार दुग्ध/दुग्ध उत्पाद उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो दूध/दुग्ध उत्पाद की मात्रा की 5 गुना राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
5. (1) यह कि द्वितीय पक्ष इंसुलेटेड वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक तथा अन्य कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत परिचालक/वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने/भारी बारिश/पुलिया के ऊपर पानी बहने/किसी भी प्रकार से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर/अन्य व्यवस्था करके वैकल्पिक मार्ग से दुग्ध वितरण समय पर सम्पन्न करें एवं 48 घंटे के भीतर संबंधित थाने से लिखित सूचना पत्र संघ के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में दुग्ध संघ को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति द्वितीय पक्ष के परिवहन देयको से की जावेगी।
 (2) वैकल्पिक मार्ग से परिवहन की स्थिति में अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान अनुबंधित दर पर प्रथम पक्ष की स्वीकृति पश्चात् किया जा सकेगा अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो द्वितीय पक्ष से वसूली नियमानुसार की जावेगी ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके द्वितीय पक्ष की जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात की जा सकेगी।
6. द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने के कारण दूध खराब होने/दुग्ध वापस आने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का रहेगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौती योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा दूध वाहन में पाई जाती है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-
 - (1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो द्वितीय पक्ष पर दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।
 - (2) 20 या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत की 20 गुना राशि का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष पर आरोपित किया जावेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष के वाहन चालक, द्वितीय पक्ष के कर्मचारी वापसी में सभी खाली क्रेट्स लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा-पीटी नहीं करेंगे एवं न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटावेंगे/बढ़ावेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
 - 9.1 द्वितीय पक्ष को क्रेटों का लेखा-जोखा स्वयं रखना होगा। कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम जमा की गई क्रेटें दुग्ध संघ में द्वितीय पक्ष को जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाजार में वर्तमान प्रचलित क्रेटों के मूल्य से गणना कर द्वितीय पक्ष के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी।
 - 9.2 दुग्ध संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से दूध देगा जिसे निर्धारित समय में द्वितीय पक्ष को उठाना होगा। डेयरी डाक पर द्वितीय पक्ष छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरणकों को प्रदाय करेगा। दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
10. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध पैकेट्स एवं दुग्ध उत्पाद को द्वितीय पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से 5 गुनी कीमत अर्थदण्ड स्वरूप वसूल की जावेगी तथा पुनरावृत्ति होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी वितरण किये जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा/गुणवत्ता स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यदि दुग्ध संघ की प्रयोगशाला में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की पुष्टि होती है तो द्वितीय पक्ष का कार्य आबंटन निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी वितरण किये जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता को मानक स्तर पर कोल्ड चेन बनाये रखने हेतु बाध्य होगा। द्वितीय पक्ष पर प्रथमतः रु 10000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा एवं पुनरावृत्ति होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
13. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आबंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
14. सफल निविदाकर्ता को दुग्ध वाहन में दूध व दुग्ध उत्पादों के प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन की व्यवस्था स्वयं के स्तर एवं व्यय से करनी होगी। दूध एवं दूध उत्पादों की डिजाइन (आर्टवर्क) दुग्ध संघ द्वारा दी जाएगी जिसे निविदाकर्ता स्वयं के स्तर से निर्माण कराएंगे दुग्ध संघ द्वारा इस हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
15. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात वाहन वापस लेकर निर्धारित समय में द्वितीय पक्ष को मार्ग के प्रारंभिक स्थल पर आकर क्रेट वापस करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में 15 मिनट का विलंब स्वीकार किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में रुपए 500 प्रति घंटा के मान से अर्थदंड द्वितीय पक्ष पर आरोपित किया जाएगा।
16. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं दो अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि इससे अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रुपये 500/- (रुपये पांच सौ रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

17. यदि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विपणन) या विपणन मार्ग पर्यवेक्षक की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह समान क्षमता के दूसरे इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् अनुबंधित वाहन कार्य पर पुनः लगाना होगा। 10 दिवस के उपरांत भी अनुबंधित वाहन ठीक न होने की दशा में अस्थाई वाहन की अवधि बढ़ाये जाने पर, निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
- 17.1 यह कि यदि द्वितीय पक्ष, किसी भी कारणवश अनुबंधित वाहन से अनुबंध अवधि में दूध वितरण निर्धारित समय पर नहीं कर पा रहा है एवं उक्त वाहन के स्थान पर समान क्षमता का इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध कराकर दूध वितरण कार्य सम्पन्न कराना चाहता है तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से अनुबंधित वाहन के स्थान पर अन्य इंसुलेटेड वाहन लगाए जाने की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसा न करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
18. प्रथम पक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष दुग्ध या दुग्ध क्रेट से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों को या अन्य सामान को दुग्ध वाहन में लोड नहीं करेगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। बार-बार पुनरावृत्ति होने पर कार्य आबंटन निरस्त करने, सुरक्षा निधि राशि जप्त करने तथा ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
19. परिवहन देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से शासन द्वारा समय-समय पर लागू कर नियमानुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा। परिवहन देयको के विलंब से प्रस्तुत करने पर कोई ब्याज आदि का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा।
20. वाहन चालक एवं अटेंडेंट द्वारा अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर महाप्रबंधक/प्रबंधक (संयंत्र संचालन)/ विपणन मार्ग पर्यवेक्षक अथवा अन्य अमले द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को द्वितीय पक्ष तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक करेगा।
21. यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक से तक (कुल तीन वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
22. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
23. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो सर्वप्रथम प्रकरण निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस स्तर पर विवाद निराकृत न होने की स्थिति में प्रकरण प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल का निर्णय उपय पक्षों को मान्य होगा।
24. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी आनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली प्रथम पक्ष की सहमति से की जा सकेगी जिसकी गणना मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं औसतन 10 किलोमीटर के एवरेज के आधार पर की जाएंगी।
25. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
26. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन की क्षमता से अधिक मांग होने पर पृथक से इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था कर मांग अनुसार दूध वितरण अनुबंधित दरो पर समय पर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करते पाए जाने एवं दुग्ध संघ स्तर से वाहन व्यवस्था कर दूध वितरण करने की दशा में उस दिवस का जो भी व्यय प्रथम पक्ष करेगा, का द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से कटौती किया जाएगा।
27. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध वितरण के दौरान अनुबंधित वाहन में अन्य ब्रांडो का दुग्ध/क्रेट्स/पैकेट्स/उत्पाद औचक निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रु. 10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष पर अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।

28. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। भविष्य में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
29. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 "साँची दूध परिवहन कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त" में उल्लेखित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
30. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों एवं दर पर निविदा हस्तांतरित की जा सकेगी।
31. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश दुग्ध संघ के व्यवसाहिक हित में द्वितीय पक्ष को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिए जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।

मैं आत्मज/पति/पत्नी..... दुग्ध परिवहनकर्ता से
 विपणन शटल मार्ग ,अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती हूँ।

(द्वितीय पक्ष)

परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता.....

1.गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता:-.....

2. गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता:-.....

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)

भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

1. बीनागंज से चाचौड़ा, कुम्भराज, मृगवास, मनोहरथाना (राजस्थान) शटल मार्ग :-

1. चाचौड़ा
2. कुम्भराज
3. मृगवास
4. मनोहरथाना

परिवहनकार्य हेतु दर प्रति लीटर
(वर्तमान में औसत दूध विक्रय ...
2010 लीटर प्रतिदिन)

बोलेरो पिकअप वाहन क्षमता 250 क्रेट
निर्माण वर्ष 2023 अथवा उसके बाद
का